



प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम



महाविद्यालय में संचालित छात्रवृत्ति योजनाए

योजना का प्रकार	योजना का नाम	योजना की पात्रता	योजना के लाभ
केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजना	1 इन्सपायर छात्रवृत्ति	1. विज्ञान के परम्परागत विषय के विद्यार्थियों के लिए। 2. 12वीं कक्षा में लगभग 90 प्रतिशत या उससे अधिक एंव एमपीबीई से प्रमाण-पत्र के आधार पर 3. प्रवीण सूची के आधार पर।	80,000/-
	2 सेन्ट्रल सेक्टर छात्रवृत्ति	1. 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक 2. वार्षिक आय 4,50,000/- 3. प्रवीण सूची के आधार पर।	UG - 12000/- PG - 20,000/-
	3 अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति	1. पिछली कक्षा 50 प्रतिशत या उससे अधिक प्राप्तांक। 2. वार्षिक आय 2,00,000/- अधिकतम।	
	4 निःशक्तजन छात्रवृत्ति	1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण-पत्र 2. वार्षिक आय 2,50,000/- अधिकतम।	8,000/- to 10,000/-
राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना	5 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति	1. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी के लिए। 2. आयसीमा का बंधन नहीं है।	प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क व विभागीय मेंटेंनेंस राशि
	6 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति	1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी के लिए। 2. आयसीमा का बंधन नहीं है।	प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क व विभागीय मेंटेंनेंस राशि
	7 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अन्य पिछड़ा वर्ग	1. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी के लिए। 2. आयसीमा 3,00,000/- अधिकतम।	प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क व विभागीय मेंटेंनेंस राशि
	8 आवास सहायता योजना अनुसूचित जाति	1. अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम 2. विद्यार्थी का स्थाई निवास स्थान से महाविद्यालय की दूरी 12 कि.मी. से अधिक होना चाहिए।	15000/- दो किस्तों में
	9 आवास सहायता योजना अनुसूचित जनजाति	1. अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियम 2. विद्यार्थी का स्थाई निवास स्थान से महाविद्यालय की दूरी 12 कि.मी. से अधिक होना चाहिए।	15000/- दो किस्तों में
	10 निःशक्तजन छात्रवृत्ति	1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का प्रमाण-पत्र 2. वार्षिक आय 2,50,000/- अधिकतम।	3000/-
तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना	11 मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना	1. माध्यमिक शिक्षा मंडल से 12वीं कक्षा में 70 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। 2. सी.बी.एस.ई बोर्ड से 12वीं कक्षा में 85 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। 3. सभी जातिवर्ग के विद्यार्थियों के लिए।	प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क से विद्यार्थियों को छूट
	12 मुख्यमंत्री जनकल्याण	1. श्रमिक पोर्टल पर जारी किया गया माता/पिता का वैध श्रमिक कार्ड होना अनिवार्य है। 2. सभी जातिवर्ग के विद्यार्थियों के लिए।	प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क से विद्यार्थियों
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजना	13 गाँव की बेटी योजना	1. केवल छात्राओं के लिए। 2. छात्रा का स्थाई निवास स्थान गाँव का होना चाहिए। 3. स्थाई निवास के गाँव में रहकर गाँव के ही शासकीय स्कूल से 60% अंक या उससे अधिक प्राप्तांक के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 4. कार्यपालन अधिकारी के द्वारा जारी गाँव की बेटी का प्रमाण-पत्र।	5000/-
	14 प्रतिभा किरण योजना	1. केवल छात्राओं के लिए। 2. छात्रा का स्थाई निवास शहरीक्षेत्र का होना चाहिए। 3. स्थाई निवास के शहर में रहकर शहर के ही स्कूल से 60 प्रतिशत अंक या उससे अधिक प्राप्तांक के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 4. छात्रा का गरीबी रेखा सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। 5. मुख्यकार्यपालन अधिकारी के द्वारा प्रतिभाकिरण का प्रमाण-पत्र।	5000/-
	15 एकीकृत योजना (स्नातक स्तर)	1. 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त। 2. प्रवीण सूची के आधार पर। 3. वार्षिक आय 54,000/- अधिकतम।	3000/-
	16 एकीकृत योजना (स्नातकोत्तर स्तर)	1. स्नातक स्तर कक्षाओं में 55 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त। 2. प्रवीण सूची के आधार पर। 3. वार्षिक आय 54,000/- अधिकतम।	5000/-
	17 पी.एच.डी. (शोध) छात्रवृत्ति	1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए। 2. विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. में पंजीयन आवश्यक।	1,92,000/-
महाविद्यालय में संचालित छात्रवृत्ति योजनाए	18 निर्धन निधि सहायता योजना	1. सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों के लिये। 2. वार्षिक आय सीमा 30,000/अधिकतम। 3. गरीबी रेखा का कार्ड अनिवार्य।	समिति के निर्णय के आधार पर

समस्त योजनाओं की अन्य पात्रता : 1. शासकीय/अशासकीय/अर्द्धशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित होना चाहिए। 2. मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
3. आधारकार्ड/समरूपआईडी 4. सामान्य जाति को छोड़कर, सभी जातिवर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण-पत्र अनिवार्य है। 5. विद्यार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र।

नोट : 1. विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ ले सकता है। 2. विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे दोबारा छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। 3. विद्यार्थी को शिक्षण के दौरान किसी शासकीय संस्था/अशासकीय संस्था/अर्द्धशासकीय संस्था/प्रायवेट कुलवर्ग व पार्टटाईम नहीं करता है इस आशय का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य है। 4. विद्यार्थी को शैक्षणिक सत्र में अपनी उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य है।

प्राचार्य - डॉ. रामकुमार चौकसे

नोडल अधिकारी - डॉ. मीना कीर